

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

को करवाई गई। इजारा की पापना से अधिक वस्तु संयुक्त है। पापनी का अंश लेना उचित नहीं है। सिपिआबुला इजारा उतरा में पापना पूर्ण हो चुकी है।

अतः इजारा उतरा में पापना पूर्ण हो जाने से कोई कार्यवाही शेष नहीं है। उतरा इस स्तर पर प्रेषित शुभारंभ पर माधुर से कम है।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)

कमीशंस कलेक्टर हुक्म का निदेश
कि इलाका अधिकारी को
कलेक्टर को लिख -
कि निर्धारित कि -
.....
कि कि कि